



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-23/09/2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत 03 अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी
अवधि की सजा व कुल- 3900 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 93/2011 धारा- 279, 336, 307 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण मकसूद आलम पुत्र जहूर आलम निवासी मान कुम्हारी थाना, वाराचट्टी जिला गया बिहार, मु0 मुकीम पुत्र मु0 जलील व शाह आलम पुत्र इलियास निवासीगण सरवांबाजार, वाराचट्टी जिला गया बिहार को थाना-लंका पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 23/09/2024 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व कुल 3900 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी